20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2016 विदिशा नि0- 747-I-16

1. लक्ष्मन सिंह पुत्र चुन्नीलाल दांगी, निवासी- ग्राम -हिरनौदा, तहसील- गंजबासौदा,जिला-विदिशा
2. रामसियाबाई पुत्री चुन्नीलाल पत्नी प्रताप सिंह दांगी, निवासी-ग्राम जोगी किरौदा, नटेरन, विदिशा
3. नेतराम
4. कमल सिंह पुत्रगण चुन्नीलाल दांगी,
5. राजबाई पुत्री कल्याण सिंह
6. हुकम सिंह
7. राजबहादुर सिंह पुत्रगण अमोल सिंह सभी निवासीगण- ग्राम -हिरनौदा, तहसील- गंजबासौदा, जिला-विदिशा

......निगरानीकर्तागण

..... निगरानीकर्ता

श्री कुंवर सिंह कुशवाह वकील द्वारा आज दि. 29-3-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-3-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र सरदार सिंह दांगी, निवासी-ग्राम-बैरखेड़ी, तहसील- बासौदा, विदिशा
2. जानकीबाई पुत्री सरदार सिंह दांगी, निवासी-ग्राम-भोजपुर, तहसील-बीना, विदिशा
3. रामसखी पुत्री सरदार सिंह दांगी, निवासी- नाह, तहसील-कुरवाई, विदिशा

..... अनावेदकगण

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट)
29/3/2016

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्र. क्र. 347/अपील/2012-13 अमर सिंह आदि बनाम रामसिया बाई आदेश दि.19.02.16 को पारित।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-747-एक/16 **जिला -** विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 347/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम हिरनौदा की भूमि का बंटवारा किए जाने बावत तहसीलदार बासौदा के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.05.2011 द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 24.09.2012 द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 19.02.2016 द्वारा स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं आलोच्य आदेश का परिसीलन किया गया। यह प्रकरण बंटवारे का है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तिहार जारी किया जाकर तथा पटवारी से फर्द बंटवारा प्राप्त किया है। तदुपरांत फर्द बंटवारे पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण बंटवारा आदेश पारित किया गया है। उक्त तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा	

(3)

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अनदेखा किए जाने के कारण तथा उनके द्वारा हल्कीबाई की तामीली के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित न होने के कारण उनके आदेश को निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है। अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण उनके आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2016 यथावत रखा जाता है।

उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो।

(3)

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य